

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० 24 / 2016 / 22(110) / XXVII(8) / 2008
दिनांक: देहरादून: 21 मार्च, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, "उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008" (अधिनियम सं० 13 वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा (1) संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा-

अनुसूची

क्र०सं०	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1.	प्रान्त बाहर से प्रान्त भीतर, किसी भी रूप में लाया गया सोना, जिसमें उसी रूप में या परिष्कृत कर या इससे आभूषण का निर्माण कर, विक्रय हेतु लाया गया, सोना सम्मिलित नहीं है।	माल के मूल्य का 0.2 प्रतिशत


(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं० 24 / 2016 / 24(120) / XXVII(8) / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 24/2016/22(120)/XXVII(8)/2008 dated 21 March, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
Vitta Anubhag-8
NO. 24 /2016/ 22(120)/XXVII(8)/2008
Dehradun :: Dated: 21 March, 2016


Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of "the Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008" (Act No. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clause Act, 1904(UP Act No. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the tax on entry of goods specified in column 2 of the Schedule below shall be levied and collected at the rate specified in column 3 of the Schedule-

Schedule

Sl. No.	Description of Goods	Rate of Tax
1	2	3
1.	Gold in any form, brought into the State from outside the States, excluding the Gold brought for sale, in the same form or after refining or after manufacturing of jewellery from it.	0.2 Percent of the value of goods


(Amit Singh Negi)
Secretary.